न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2023/222**
दायरा तिथि : 03.10.2023
आदेश तिथि : 21-04-2026
प्रार्थी :–

मीठाराम पुत्र खसाराम जाति मेघवंशी निवासी बेडा तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

रताराम पुत्र धीराराम जाति मीणा निवासी आमलिया तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 21-04-2026

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 1635 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा नंबर 1636 रकबा 0.4100 हैक्टर व खसरा नंबर 1638 रकबा 0.5000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी की भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 1637 रकबा 0.2000 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे निरीक्षक भू–अभिलेख बिसलपुर को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2026/512 दिनांक 17.02.2026 की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि आवेदक(खातेदार) की धारित भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नही है, आवेदक प्रस्तावित रास्तां से ही आना जाना करता है।
2. यह है आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्तां किसी सडक अथवा कटान मार्ग से न्यूनतम दुरी का है। इससे कम दूरी का रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1637	0.20	बारानी अव्वल	10X04=40 वर्गमीटर	रताराम पुत्र धीराराम जाति मीणा खातेदार

4. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 3,80,000/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 1635 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा नंबर 1636 रकबा 0.4100 हैक्टर व खसरा नंबर 1638 रकबा 0.5000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

पेज लगातार..........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2023/222

अनवान मीठाराम बनाम रताराम

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक:प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 1635 रकवा 0.2800 हैक्टर, खसरा नंबर 1636 रकबा 0.4100 हैक्टर व खसरा नंबर 1638 रकबा 0.5000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी की भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 1637 रकबा 0.2000 हैक्टर में से **40 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 3,80,000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1637	0.20	10X04=40 वर्गमीटर	38	1520X2=3040	रताराम पुत्र धीराराम जाति मीणा खातेदार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 3040/– (अक्षरे तीन हजार चालीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2026/653–657

दिनांक : 27-4-2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, बेडा प्रथम
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक मीठाराम पुत्र खसाराम जाति मेघवंशी निवासी बेडा तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner